3

# न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

## दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–38/2017–18

## नागेन्द्र कुमार वगैरह बनाम रेखा सिंह एवं राज्य

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

11/12/18

**आदेश**

यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0–20/2016–17 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–30.08.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

**इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है।**

**प्रथम पक्ष**

1. नागेन्द्र कुमार,
2. जगरनाथ प्रसाद, दोनों पिता स्व0 राजेन्द्र प्रसाद,
3. उदय कुमार, पिता स्व0 महेन्द्र प्रसाद, सभी का पता–ग्राम–आन्नदपुर, थाना–बिहटा, जिला–पटना

**द्वितीय पक्ष**

1. रेखा सिंह, पति विपिन कुमार सिंह, मकान सं0–ए/19, रोड नं0 19, राजीव नगर, पटना।
2. राज्य सरकार

विवादित भूखण्ड का विवरण

| अंचल | मौजा | थाना नं0 | खाता नं0 | खेसरा नं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| बिहटा | आनन्दपुर | 36 | 360 | 1881 | 56.25डी0 |

**पुनरीक्षणकर्ता का कहना है कि**

(1) विवादित भूखण्ड उनकी पुश्तैनी सम्पति है, जिसकी जमाबंदी उनके पिता के नाम से कायम है। विवादित भूखण्ड उनके शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में है तथा वे जोत आबाद कर रहे है।

(2) मार्च, 2016 में जानकारी मिली कि विवादित भूखण्ड विपक्षी के द्वारा क्रय कर ली गयी है तथा उसके दाखिल खारिज हेतु बिहटा अंचल में आवेदन दिया गया है।

(3) दाखिल खारिज वाद सं0–7285/2015–16 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विवादित भूखण्ड की जमाबंदी सं0 43 महेन्द्र सिह एवं राजेन्द्र सिंह के नाम दर्ज है तथा मालगुजारी रसीद निर्गत हो रही है।

(4) इस वाद के पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा अंचलाधिकारी, बिहटा के न्यायालय में उपस्थित होकर आपति दर्ज की गयी तथा यह जानकारी दी

गयी कि विवादित भूखण्ड से संबंधित स्वत्व वाद सं0 149/2016 व्यवहार न्यायालय, दानापुर में चल रहा है।

(5) अंचल अधिकारी, बिहटा के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की आपति को दर किनार करते हुए, स्वत्व वाद लम्बित रहते हुए दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी। अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा दिनांक–23.08.2016 को पारित आदेश में स्थल निरीक्षण की बात कही गयी है, परन्तु उनके द्वारा कोई स्थल निरीक्षण नहीं किया गया था।

(6) दाखिल खारिज वाद सं0 7285/15–16 में दिनांक–23.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 20/2016–17 दायर की गयी, परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा तथ्यों एवं कानून को दरकिनार करते हुए दिनांक–30.08.2017 के आदेश से अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

(7) पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 20/2016–17 में दिनांक–30.08.2017 को पारित आदेश को अवैध बताते हुए, निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

**पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा निम्न न्यायालय की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।**

(1) स्वत्व वाद सं0 149/2016 की याचिका की प्रति

(2) दिनांक–16.02.2016 का बिक्रीनामा जो विपक्षी रेखा सिंह के पक्ष में विवादित भूखण्ड के लिए निष्पादित है।

(3) सर्वे खतियान

(4) महेन्द्र सिंह वो राजेन्द्र सिंह की जमाबंदी पंजी

(5) महेन्द्र सिंह वो राजेन्द्र सिंह की जमाबंदी सं0 43 पर निर्गत वर्ष 2016–17 की लगान रसीद।

**विपक्षी रेखा सिंह का कथन है कि**

(1) विवादित भूखण्ड विपक्षी के बिक्रेता को पारिवारिक बंटवारा में मिली थी, जिस पर वे दखलकार थे। खरीदगी के बाद दाखिल खारिज वाद सं0 7285/2015–16 के अन्तर्गत विपक्षी के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(2) दाखिल खारिज वाद सं0 7285/15–16 में पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 20/2016–17 दाखिल की गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा अंचलाधिकारी, बिहटा के आदेश को विधि सम्मत मानते हुए अपील निरस्त कर दी गयी।

(3) विवादित भूखण्ड को लेकर सब जज–II दानापुर के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 149/2016 लम्बित है। इस स्थिति में राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का निर्णय दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। पुनरीक्षण वाद रद्द करने योग्य है।

**विपक्षी के द्वारा निम्न कागजात की छाया प्रति दाखिल की गयी है।**

(1) स्वत्व वाद सं0 149/16 की याचिका की प्रति

(2) स्वत्व वाद सं0 149/16 की दिनांक–10.05.2016 से 31.05.18 की अवधि का आदेश–फलक

**उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।**

(1) विपक्षी रेखा सिंह के पक्ष में दाखिल खारिज वाद सं0 7285/15–16 के अन्तर्गत दिनांक–23.08.2016 को दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी। उक्त दाखिल खारिज वाद में इस वाद के पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर आपति दर्ज की गयी थी तथा बताया गया कि विवादित भूखण्ड को लेकर व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 149/16 लम्बित है। अंचलाधिकारी, बिहटा के दिनांक–23.08.2016 के आदेश में यह तथ्य अंकित है कि विवादित भूखण्ड को लेकर स्वत्व वाद चल रहा है।

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 6(12) में स्पष्ट है कि होल्डिंग या उसके भाग के दाखिल खारिज के वैसे मामलों में स्वीकृति नहीं दी जाएगी, जिनमें होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद लंबित हो।

अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा उक्त दाखिल खारिज वाद सं0 7285/15–16 में प्रावधान एवं नियम के विरूद्ध दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी है।

(2) दाखिल खारिज वाद सं0 7285/15–16 में दिनांक–23.08.2016 को पारित आदेश में स्थानीय निरीक्षण की बात कही गयी है, परन्तु उक्त स्थलीय निरीक्षण कब किया गया, उसका Memo of inspection तैयार किया गया अथवा नहीं इसका कोई वर्णन आदेश में नहीं है। राजस्व कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन में विवादित भूखण्ड पर क्रेता के दखल के संबंध में कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है।

(3) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा अपील सं0 20/16–17 के अन्तर्गत बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम–2011 की धारा–6(2) को नजर अंदाज करते हुए मात्र दखल को आधार मानते हुए अंचलाधिकारी, बिहटा के आदेश को सम्पुष्ट कर दिया गया, जबकि विवादित भूखण्ड पर क्रेता के दखल के संबंध में राजस्व कर्मचारी के द्वारा कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। अंचलाधिकारी ने अपने आदेश में स्थानीय निरीक्षण की बात लिखी है, परन्तु न तो निरीक्षण की तिथि अंकित है न ही Memo of inspection तैयार किये जाने का तथ्य अंकित है। अतः भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा विवादित भूखण्ड पर क्रेता (इस वाद की विपक्षी) का दखल मान लिया जाना उचित नहीं है।

(4) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा इस प्रावधान का

| | | |
|---|---|---|
| | ध्यान नहीं रखा गया कि सक्षम न्यायालय में स्वत्व लम्बित रहने की स्थिति में विवादित भूखण्ड की दाखिल खारिज की स्वीकृति नहीं दी जा सकती।<br>सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दाखिल खारिज वाद सं0 7285/2015–16 में दिनांक–23.08.2016 को अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा पारित आदेश तथा दाखिल खारिज अपील वाद सं0–20/2016–17 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–30.08.2017 को पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत करते हुए उक्त दोनों आदेशों को खारिज किया जाता है।<br>आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर एवं अंचलाधिकारी, बिहटा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।<br>**लेखापित एवं संशोधित।**<br>11/12/18<br>(वजैन उद्दीन अंसारी)<br>अपर समाहर्त्ता, पटना<br>11/12/18<br>(वजैन उद्दीन अंसारी)<br>अपर समाहर्त्ता, पटना | |
| | | |